संख्या– 31 /XVI-2/11/39/10

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान,
गोपेश्वर (चमोली)।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–2 देहरादूनः दिनांकः 18 जनवरी, 2011

विषयः–जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल मुख्यालय (गोपेश्वर) जनपद चमोली में चाहर दीवारी निर्माण कार्य की वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–471/XVI-2/10/7(39)/10 दिनांक 25.11.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिशासी अभियन्ता यमुना निर्माण खण्ड द्वितीय देहरादून द्वारा जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल मुख्यालय में प्रस्तावित चाहर दीवारी हेतु प्रस्तुत आगणन ₹119.105 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षित ₹110.88 लाख (₹ एक करोड दस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) के आगणन की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि(जो कि पूर्व में ही आपके निर्वतन पर रखी जा चुकी है,) में से निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हैं, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

2– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक,वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। बिना ऐसी स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

6– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

7– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेता के साथ अवश्य करा लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य कराया जाय।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाये जाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

–2/–

10– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–2047/XIV–219/2006, दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11– कार्य सम्पादित करने एवं सामग्री क्रय हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स,2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12– निर्माण एजेन्सी के साथ निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया जाय।

13– उक्त स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा नियमानुसार उपलब्ध कराई जायेगी तथा निर्माण इकाई द्वारा निर्माण कार्य को निर्धारित समय के भीतर पूर्ण किया जाना होगा, कार्य की प्रगति की सूचना समय–समय पर शासन को उपलब्ध करायी जानी होगी।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 31 (1)/XVI-2/11/7(29)/10, तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. अधिशासी अभियन्ता, यमुना निर्माण खण्ड द्वितीय, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ (चमोली)।
5. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।
6. निदेशक,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0 पाटनी)
अनु सचिव।